

प्रेषक,

एल० खियांगते,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पलामू।

राँची, दिनांक-11-05-2022

विषय:- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु संविदा भत्ता इकाई विपत्र कोड-40S20290010401000108 के अनुसार कुल ₹23,05,000/- (रुपये तेईस लाख पाँच हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतनादि भुगतान एवं अन्य स्थापना व्यय हेतु कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹23,05,000/- (रुपये तेईस लाख पाँच हजार) मात्र की राशि का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है। (DDO Code-PLMDAD024)
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 245/बजट, दिनांक-30.03.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

PTO





7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,



(एल० खियांगते)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 17/3114 राँची, दिनांक- 11-05-2022
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार पदाधिकारी, पलामू
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव।

